4307 (26)

प्रेषक,

श्रीमती मीरा यादव,
प्रमुख सचिव, शिक्षा
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1— शिक्षा निदेशक (मा0)
उ0प्र0, लखनऊ।

2— निदेशक (बेसिक शिक्षा)
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–8 लखनऊ: दिनांक 20 दिसम्बर, 2001

विषय— प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–वे0आ0–2–1262/दस–2001–53/2001, दिनांक 20 जुलाई, 2001 सम्पठित शासनादेश सं0–वे0आ0–2–1432/दस–2001–53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या –वे0आ0–2/1650/दस–2001–53/2001 दिनांक 03 सितम्बर, 2001 के प्रस्तर 2 (2) के अनुक्रम में राज्यपाल महोदय सम्यक विचारोपरान्त बेसिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के ऐसे शिक्षकों जो दिनांक 01 जुलाई, 2001 को सेवारत थे अथवा इसके उपरान्त नियुक्त हुये हों, को चयन वेतनमान व प्रोन्नति वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) <u>बेसिक शिक्षा–</u>

(1) प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुमन्य कराया जायेगा।

(2) चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण करने के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा।

(3) प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया

जायेगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर [illegible] देगी। जिसके आधार पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा [illegible] स्वीकृत किया जायेगा।

(4) उपरोक्त प्रक्रिया बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत [illegible] विद्यालय के अध्यापक, प्रधानाध्यापक [illegible] प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संबंध में भी [illegible] जायेगी।

(5) यदि किसी वर्ष में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु [illegible] कम होती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है [illegible] / प्रधानाध्यापकों की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की [illegible] क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया [illegible]

(ख) <u>माध्यमिक शिक्षा–</u>

(1) माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों /प्रवक्ताओं [illegible] वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर[illegible] वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा तथा चयन वेतनमान [illegible] संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर प्रोन्नति वेतनमान [illegible] जायेगा।

(2) अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रोन्नति वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तथा राजकीय विद्यालयों के एल0टी0 शिक्षकों के लिए संबंधित मण्डल के संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एवं राजकीय विद्यालयों के प्रवक्ताओं के संबंध में शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जायेगा। जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी। इस संस्तुति के आधार पर संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा वेतनमान स्वीकृत करने के आदेश जारी किये जायेंगे।

(3) शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत एल0टी0 शिक्षकों को प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब एल0टी0 शिक्षकों द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान स्वीकृत किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के फलस्वरूप सम्बन्धित शिक्षक का वेतन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

(1) दिनांक 01-01-1996 को चयन / प्रोन्नत वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों का वेतन, शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1432/दस-2001- 53/2001, दिनांक 08 अगस्त, 2001 एवं शासनादेश संख्या-वे0आ0-2- 1650/दस -2001 -53/ 2001, दिनांक 0 सितम्बर, 2001 में जारी व्यवस्था के अधीन सीधे संशोधित चयन/प्रोन्नत वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा।

(2) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से चयन वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से, चयन वेतनमान में अगले प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) दिनांक 01-01-1996 के बाद की तिथि से वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान की अनुमन्यता के मामले में सम्बन्धित शिक्षक का वेतन, चयन वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से प्रोन्नत वेतनमान में अगले प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा।

(4) अवशेषों का भुगतान शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-1432/दस-2001- 53 /2001 दिनांक 08 अगस्त, 2001 के प्रस्तर-2 (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1432/दस-2001-53/2001, दिनांक 08 अगस्त 2001 के प्रस्तर-1 (2) एवं शासनादेश संख्या वे0आ0-2-1650/दस-2001-53/2001 दिनांक 03 सितम्बर 2001 के प्रस्तर-2 (2) को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय पत्र

संख्या-ए-1-2299/दस-2001 दिनांक 20-12-2001 में वा... किये जा रहे हैं।

भवदीया

(नीरा यादव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-4507 (1)/15-6-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0, लखनऊ।
(2) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(5) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलीय सह शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
(10) प्रधानाचार्य, क्रिश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
(11) प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
(12) प्रधानाचार्य के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
(13) प्रधानाचार्य, एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुवलदीप? वाराणसी।
(14) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव